न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

कमलकिशोर बनाम राजस्थान सरकार वगैरह
किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
प्रकरण संख्या 186/2025 (पुष्कर)

निर्णय 30/4/25

	श्री प्रदीप विश्नोई **राजकीय अभिभाषक**	
21.04.2025	कमलकिशोर बनाम राजस्थान सरकार वगैरह (2025/186) यह अपील श्री प्रदीप विश्नोई एडवोकेट/पवन टांक एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 42/2024 में पारित आदेश दिनांक 02.07.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत की गई। अपील वाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम संलग्न है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र स्थगन पर अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक को सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 30.04.2025 को पेश हो। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में 1996 (3) आर0बी0जे0 पेज संख्या 536, 2019 आर0बी0जे0 पेज संख्या 97, आर0बी0जे0 (26) 2019 पेज संख्या 206, आर0आर0टी0 2017(2) पेज संख्या 1047 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
30.04.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। वकुलाय उपस्थित। अभिभाषक उभयपक्ष को दिनांक 21.04.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम एवं स्थगन पर सुना गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियमं पर की गई बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रति का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन प्रार्थी/अपीलांट के द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में जो देरी के कारण अंकित किये है जो सदभाविक व संतोषजनक है। **अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।** तत्पश्चात अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर की गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा पारित आदेश एवं अपील का अवलोकन किया गया। वाद अवलोकन हमने पाया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर के समक्ष राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार द्वारा दिनांक 02.07.2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट पेश किया गया, जिसे दर्ज कर वर्तमान रेस्पोडेन्ट की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई एवं अप्रार्थीगण को नोटिस जारी कर आगामी पेशी दिनांक 10.07.2024 नियत की गई।	

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर
RAA

Scanned with CamScanner

तत्पश्चात अभिभाषक अपीलांट/अप्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाब पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र विचाराधीन है तथा उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि वे उभयपक्ष को जवाब एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner